तारीख हुक्म	मु.न. 87/2024 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रामरतन बनाम राधाकुमारी वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
02/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उपस्थित पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 5/3/25 को पेश हो। Bharti	
5/3/25	पत्रावली पेश हुई अधि० उभयपक्ष उप० उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई पत्रा० वास्ते आदेश दिनांक 11/3/25 को पेश हो। Bharti उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	
11/3/25	पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार 01/04/25 को पेश हो।	
01/04/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उप० उभयपक्ष के अधिवक्तागण की पुनः बहस सुनी गई पत्रा० वास्ते आदेश दिनांक 3/4/25 को पेश हो। Bharti उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	
3/4/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उप० प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। Bharti उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 35 / 2024

1. रामरतन पुत्र पातरिया जाति जाटव निवासी गहलउ तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
.....प्रार्थी

वनाम

1. राजकुमारी पत्नी भीमसिंह
2. शान्ति पत्नी समन्दर सिंह
3. अजयसिंह पुत्र समन्दर सिंह
4. हरवीर पुत्र समन्दर
5. मनीराम पुत्र समन्दर
6. राहुल पुत्र अजयसिंह
7. कान्हा पुत्र हरवीर समस्त जातियान जाट निवासी गहलउ तहसील उच्चैन।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट प्रार्थी
2. श्री जयप्रकाश शर्मा एडवोकेट अप्रार्थीगण

निर्णय **दिनांकः—03.04.2025**

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि हम प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 379 रकवा 0.27है0 वाके ग्राम गहलउ में स्थिति है एवं असल अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 381 बाके ग्राम गहलउ में स्थित है। उक्त विवादित आराजी का पुराना खसरा नम्बर 300 था तथा उक्त पुराने खसरा नम्बर का दौराने सैटलमैन्ट नया खसरा नम्बर 379 बनाया गया एवं एक नया राजस्व नक्शा बनाया गया लेकिन जो दौराने सैटलमैन्ट जो नया नक्शा बनाया गया उसका रकवा 0.07है0 कम कर दिया तथा अब अप्रार्थीगण नये नक्शे के मुताबिक अप्रार्थीगण मुझ प्रार्थी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते है एवं मुझ प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजी पर पुख्ता निर्माण करना चाहते है। दिनांक 15.05.2024 को अप्रार्थीगण एक राय मशविरा होकर मेरी

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

उक्त आराजी पर आ गये तथा मेरी उक्त खातेदारी की आराजी में डली डौल मेडो के 20 फीट भीतर आकर अन्दर पुख्ता निर्माण करने के उद्देश्य से नींव खोदने के लिये निशानात कायम करने लग गये एवं मुझ प्रार्थी के मना करने पर झगडे के लिये उतारू हो गये एवं मेरी आराजी से मुझे बेदखल करने की धमकी दी जिसके कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश कर अप्रार्थीगण को रिकार्ड एवं मौके की अस्थाई निषेधज्ञा से पावंद फरमाये जाने हेतु निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थीगण के द्वारा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत होकर जवाव पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा तमाम तथ्य असत्य आधारहीन एवं मनगढन्त प्रार्थना पत्र को रंगत देने के लिये अभिवर्णित किये गये है मौके पर सायल एवं तरतीवी गैरसायल द्वारा हाल खसरा नम्बर 379/0.27है0 को दो भागों में विभाजित कर रखा है जिसमें असल गैरसायल के सहारे मुल वाद प्रकरण में तरतीवी प्रतिवादी संख्या 8 लगा0 11 के कब्जे काश्त का हिस्सा स्थित है जबकि सायल का हिस्सा दूसरी तरफ है असल एवं तरतीवी गैरसायलान के मध्य में कब्जे काश्त को लेकर कभी कोई विवाद नहीं हुआ और आज भी कोई विवाद नहीं है। सायल की संतुष्टि के लिये गैरसायल असल द्वारा तहसीलदार उच्चैन, उपखण्ड अधिकारी उच्चैन, जिला कलेक्टर भरतपुर एवं भू–प्रबन्ध विभाग के निर्देशानुसार पटवारी एवं गिरदावल तथा पूरी टीम एवं सैटलमेंट विभाग द्वारा पैमाइश करायी गयी है तथा निशानात कायम किये गये है किसी भी प्रकार का विवाद मौके पर नहीं पाया गया। गैरसायल असल के खसरा नम्वर 381 में पाटौर लम्बे अरसे से डली हुई है जो कृषि औजार रखने एवं उठने बैठने एवं अनाज भूसा आदि रखने के काम आती है। दिनांक 15.05.2023 को तो क्या कभी भी 20 फुट तो क्या एक इंच जमीन भी सायल की गैरसायलान असल द्वारा नहीं ली गई है। प्रार्थना पत्र को मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी खसरा नम्वर 379 को पुराना नम्वर 300 था जो कि चुरारी से बारहमाफी जाने वाली रोड पर स्थित है एवं उक्त विवादित आराजी पर प्रार्थी का निर्विवाद रूप से कब्जा है उक्त खसरा नम्वर की नये नक्शे से माप की जाये तो खसरा नम्बर में 7 एयर की कमी आती है। उक्त विवादित आराजी की अप्रार्थीगण के द्वारा पैमाइश करबाई गई एवं तहसीलदार उच्चैन के द्वारा पत्थरगढी करवा दी गई। तहसीलदार उच्चैन के विरूद्ध प्रार्थी के द्वारा हुक्म उदूली का प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया जिसके कारण तहसीलदार उच्चैन के द्वारा पत्थरगढी को उखडवा लिया गया। प्रार्थी की विवादित आराजी की पैमाइश पुराने राजस्व नक्शे के अनुसार करबायी जाबे एवं जब तक नये राजस्व नक्शे की दुरस्ती तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधज्ञा से पाबंद फरमाये जाने का निवेदन किया है।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जबाव प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी के वकील द्वारा आराजी खसरा नम्बर 379 में पाटोर डली होना बताया गया है जबकि उक्त कथन को मैन्सन इनके द्वारा ना तो अपने दावे में किया गया है ना ही प्रार्थना

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

की अस्थाई निषेधज्ञा में किया गया है जबकि सच्चाई में उक्त पाटोर हम अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 381 में बनी हुई है। प्रार्थी विवादित आराजी खसरा नम्बर 379 में आधे हिस्से के खातेदार है एवं आधे हिस्से के खातेदार तरतीवी प्रतिवादी है एवं तरतीवी प्रतिवादीगण का हिस्सा हम अप्रार्थीगण की आराजी से लगता है एवं हमारा एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के मध्य किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। प्रार्थी का हमारे बराबर में कब्जा नहीं है ऐसी स्थिति में हम अप्रार्थीगण को नक्शा दुरूस्ती होने तक अस्थाई निषेधज्ञा से बिना किसी कारण के पाबंद किया जाना अनुचित है। प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृष्टया विषयवस्तु (प्राईमाफेसी केस) को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी उक्त विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसके कारण उक्त विवादित आराजी में प्रार्थी के हक निहित है। इस प्रकार प्रकरण में मजबूत प्रथमदृष्या विषयवस्तु/विवाद कारण उत्पन्न होना प्रतीत होता है जिसका निर्धारण दावा के गुणावगुण पर साक्ष्य–सबूत लेकर ही किया जा सकता है।

प्रकरण में अब प्रार्थी को होने वाली अपूरणीय क्षति को समझना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी में रिकार्डेड सहखातेदार होने के आधार पर अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधज्ञा से पावंद करबाना चाहा गया है। दौराने–ए–वाद विवादग्रस्त आराजी की मौके स्थिति में यदि परिवर्तन होता है तो वाद के निर्णय के पश्चात वादी के अधिकारों पर नकारात्मक एवं अपूर्णीय क्षति होना प्रबल सम्भावित है इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होना प्रतीत होता है।

प्रकरण में अब सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में झुकाव रखने के बारे में समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी उक्त विवादित आराजी में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। दौराने बहस प्रार्थी द्वारा बताया गया कि दौराने सैटलमेंन्ट प्रार्थी का रकवा नये राजस्व नक्शे में 7 एयर कम हो गया है जिसकी शुद्धि हेतु न्यायालय में मुकदमा लंबित है अप्रार्थी नये राजस्व नक्शे के आधार पर प्रार्थी की आराजी पर कब्जा करना चाहते है। इस प्रकार प्रकरण में उक्त आराजी के मौके की स्थिति यथाबत रखने हेतु अस्थाई निषेधज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा की तुलना में प्रार्थीगण को होने वाली असुबिधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थी का प्रकरण में मजवूत विवाद विषयवस्तु प्रकट होने, प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति प्रतीत होने तथा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को हुई असुविधा की तुलना में प्रार्थी को होने बाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने के कारण उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुर (भरतपुर)

अतः आदेश है:—

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधज्ञा ताफैसला वाद इस अम्र की जारी कर पावंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 379/0.27है0 वाकै ग्राम गहलउ तहसील उच्चैन में मौके की यथास्थिति वनाये रखें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 03.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन-भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)